रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 1976/आषाढ़ 9, 1898
No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 1976/ASADHA 9, 1898,

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June 1976

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A read with section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1976

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In rule 3 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, in sub-rule (3), for the words, figures and abbreviation "the 30th day of June, 1976", the words, figures and abbreviation "the 30th day of September, 1976" shall be substituted.

[No.1/66/75-CL XIV]

A. CHOUDHURY, Jt Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 1976

सा० का०नि० 427(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 मे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के नियम 3 के उपनियम (3) में "1976 के जून के तीसवें दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1976 के सितम्बर के तीसवें दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 1/66/75—सी० एल 14]

ए० चौधरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976